



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179872

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 7905 सन् 2025

फिरोज एवं 3 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राजीव सिसोदिया, शशांक द्विवेदी, सैय्यद शहनवाज़ शाह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का भी परिशीलन किया गया।

2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 13 सितंबर, 2019 तथा मुकदमा अपराध संख्या 281 वर्ष 2019, धारा 308, 324, 325, 452, 504, 506 भा.दं.सं., थाना-नूरपुर, जनपद-बिजनौर से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 102 वर्ष 2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम फिरोज एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर, निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, बिजनौर के न्यायालय में लंबित है।

3. वर्तमान आपराधिक आवेदन पर विचार करते समय इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 11 मार्च, 2025 को आदेश पारित करते हुए आवेदकगण को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को विचारण न्यायालय के समक्ष सत्यापन हेतु दाखिल करने का निर्देश दिया तथा विचारण न्यायालय को उक्त समझौते का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के आदेश द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए उक्त समझौते का सत्यापन किया है, जिसकी प्रति दिनांक 20 जुलाई, 2026 को दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के साथ संलग्नक संख्या एस.ए.-1 के रूप में अभिलेख पर लाई गई है।

5. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है और उक्त समझौते का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सत्यापन भी कर दिया गया है, अतः उपर्युक्त आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता को, यदि उपर्युक्त वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:-

- (i) बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य; (2003) 4 एस.सी.सी. 675,
- (ii) निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो; (2008) 9 एस.सी.सी. 677,
- (iii) मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य; (2008) 16 एस.सी.सी. 1,
- (iv) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012); 10 एस.सी.सी. 303,
- (v) नरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस.सी.सी. 466,
- (vi) डिम्पी गुजराल, पत्नी विवेक गुजराल एवं अन्य बनाम संघ राज्य क्षेत्र, जरिए प्रशासक, चंडीगढ़ एवं अन्य; (2013) 11 एस.सी.सी. 497,
- (vii) एच.एन. पंडाकुमार बनाम कर्नाटक राज्य; 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 38, तथा
- (viii) नौशे अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2025) 4 एस.सी.सी. 78.

8. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। इस न्यायालय द्वारा **शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2013 (83) ए.सी.सी. 278** में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपर्युक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है।

9. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकारों ने पहले ही अपने विवाद का निपटारा कर लिया है।

10. तदनुसार, सत्र परीक्षण संख्या 102 वर्ष 2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम फिरोज एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 281 वर्ष 2019, धारा 308, 324, 325, 452, 504, 506 भा.दं.सं., थाना-नूरपुर, जनपद-बिजनौर से उद्भूत है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, बिजनौर के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

11. वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

25 अगस्त, 2026

सुशील/-